# सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा अपने अधिसूचित क्षेत्र में आवारा कुत्तों की संख्या अत्यधिक होने के कारण प्रायः कुत्तों के काटने की घटनाऐं समाचार पत्रों/सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यमों से शिकायतें प्रकाश में आती रहती हैं। आवारा कुत्तों को खाना–खिलाने अथवा उन्हें सोसायटी से बाहर निकालनें आदि के मुद्दो पर Pet Lovers और सोसायटी के अन्य सदस्यों के मध्य टकराव की घटनाएं भी प्रायः देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त पालतू कुत्तों/बिल्लियों के सार्वजनिक स्थानों पर घूमने, शौच करने, भौकने, काटने आदि के प्रकरणों में भी पशु पालकों और सोसाइटी के सदस्यों के बीच मतभेद की स्थिति बनी रहती है। पालतू पशुओं के सार्वजनिक स्थानों पर शौच करने पर शहर की सफाई व्यवस्था भी प्रभावित होती है तथा आम नागरिको को इससे असुविधा भी होती है। लिफ्ट, पार्क अथवा अन्य सार्वजनिक स्थानों पर पालतू कुत्तों के आक्रामक व्यवहार को लेकर भी शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं।

वर्तमान में आवारा डॉग्स के स्टेरिलाईजेशन एवं वैक्सीनेशन कार्य हेतु एजेन्सी चयन के लिए निविदा आमंत्रित की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में घटित हो रही घटनाओं/शिकायतों के क्रम में पालतू कुत्तों/बिल्लियों के पंजीकरण हेतु भी कई समाजसेवी संगठनों द्वारा मॉग की जा रही है। इसके दृष्टिगत प्राधिकरण द्वारा एक नीति तैयार निर्गत की गयी है, जो प्राधिकरण की वेबसाईट पर उपलब्ध है। उक्त नीति पर आमजन मानस से सुझाव/विकल्प/आपत्तियॉ प्राप्त की जानी है, जिनका अध्ययनोपरान्त यदि आवश्यक हुआ तो पूर्व निर्गत पेट पॉलिसी में संशोधन किया जायेगा, जिसके लिए एक गूगल फार्म तैयार किया गया है, जिस पर दिनॉक 10.11.2023 तक सुझाव/विकल्प/आपत्तियॉ मॉगी/दर्ज की जा सकती है, जिसका लिंक निम्नानुसार है–

**https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdL79Qo0tb0A01Qv8pMo3Nh7YoJlibFmaW04F2BYHklsYZ6Fw/viewform?usp=sf_link**

**महाप्रबन्धक (स्वास्थ्य)**
**ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण**

# ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

भूखण्ड सं0: 01, सेक्टर–नॉलेज पार्क–4, ग्रेटर नौएडा सिटी,
जनपद गौतमबुद्धनगर (उ0प्र0)

पत्रॉकः स्वा0वि0 / का0आ0 / 2023 / 19 दिनॉकः 04/01/2023

## कार्यालय आदेश

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा प्राधिकरण क्षेत्र के आवारा / पालतू कुत्तों / बिल्लियों इत्यादि हेतु सक्षम स्तर से स्वीकृति उपरान्त पूर्व निर्गत कार्यालय आदेशः म0प्र0(अभि0) / का0आ0 / 2022 / 1218 दिनॉक 14.11.2022 में आंशिक संशोधनोंपरान्त मा0 बोर्ड के अनुमोदन के क्रम में निम्नानुसार Dog Policy लागू की जाती है–

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र में आवारा कुत्तों की संख्या अत्यधिक होने के कारण प्रायः कुत्तों के काटने की घटनाऐं समाचार पत्रों / सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यमों से शिकायतें प्रकाश में आती रहती हैं। आवारा कुत्तों को खाना–खिलाने अथवा उन्हें सोसायटी से बाहर निकालनें आदि के मुद्दो पर Pet Lovers और सोसायटी के अन्य सदस्यों के मध्य टकराव की घटनाएं भी प्रायः देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त पालतू कुत्तों / बिल्लियों के सार्वजनिक स्थानों पर घूमने, शौच करने, भौकने, काटने आदि के प्रकरणों में भी पशु पालकों और सोसाइटी के सदस्यों के बीच मतभेद की स्थिति बनी रहती है। पालतू पशुओं के सार्वजनिक स्थानों पर शौच करने पर शहर की सफाई व्यवस्था भी प्रभावित होती है तथा आम नागरिको को इससे असुविधा भी होती है। लिफ्ट, पार्क अथवा अन्य सार्वजनिक स्थानों पर पालतू कुत्तों के आक्रामक व्यवहार को ले कर भी शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं।

यद्यपि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा आवारा कुत्तों के नसबन्दी हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं तथा डॉग स्टेरिलाईजेशन कार्य हेतु वर्तमान में एक एन.जी.ओ. कार्यरत भी है, किन्तु आवारा / पालतू कुत्तों / पालतू बिल्लियों हेतु कोई पृथक नीति प्रख्यापित नहीं है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में घटित हो रही घटनाओं / शिकायतों के क्रम में पालतू कुत्तों / बिल्लियों के पंजीकरण हेतु भी कई समाजसेवी संगठनों द्वारा मॉग की जा रही है। तद्क्रम में कार्य की आवश्यकता, अपरिहार्यता एवं तात्कालिकता के दृष्टिगत ग्रेटर नौएडा में डॉग्स स्टेरिलाईजेशन / वैक्सीनेशन एवं पालतू कुत्तों / बिल्लियों के पंजीकरण कराये जाने है, जो निम्नानुसार है–

### (क) आवारा कुत्तों से सम्बन्धित नीतिः–

1. AWBI (Animal Welfare Board of India) की गाइडलाइन का पूर्णतः पालन किया जायेगा।
2. वर्तमान नीति के अनुसार ग्रेटर नौएडा परिक्षेत्र में RWA/AOA/CGHS आदि द्वारा कुत्तों का स्टेरिलाईजेशन एवं वैक्सीनेशन कार्य प्राधिकरण द्वारा चयनित संस्था से कराये जाने पर वहन की जाने वाली धनराशि को चयनित संस्था को RWA/AOA/CGHS द्वारा सीधे 25% एवं प्राधिकरण द्वारा 75% भुगतान किया जा रहा है।
3. सार्वजनिक स्थानों / ग्रामों / मुख्य मार्गों के आवारा डॉग जो कि किसी भी RWA/AOA/CGHS के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नहीं आते हैं, उन कुत्तों के स्टेरिलाईजेशन एवं वैक्सीनेशन कार्य पर होने वाला सकल व्यय अर्थात 100% धनराशि का भुगतान प्राधिकरण द्वारा स्वयं वहन किया जा रहा है।
4. **Sterilization & Anti Rabies Vaccination: -**

   ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण द्वारा सभी आवारा कुत्तों की नसबन्दी की व्यवस्था की गई है। नसबन्दी के साथ ही एंटी रैबीज का टीका भी अनिवार्य रूप से लगाया जायेगा। वर्तमान में कार्यरत एक एन.जी.ओ. का रोस्टर बना दिया गया है। ये एजेन्सी जिस सैक्टर या सोसाइटी में जाएंगी वहां नसबन्दी का कार्य पूर्ण करने व सम्बन्धित पदाधिकारियों से प्रमाण पत्र लेने के बाद ही अगले सैक्टर या सोसाइटी में जाएंगी। ग्रामों में यह प्रमाण पत्र वहां के पांच गणमान्य निवासियों से लिया जाएगा। टीकाकरण का पूर्ण रिकार्ड आर0डब्लू0ए0 / ए0ओ0ए0 / ग्राम एवं संस्था द्वारा रखा जायेगा तथा एक वर्ष पूर्ण होने के पूर्व ही एंटी रैबीज के लिए प्राधिकरण की नामित एजेन्सी को सूचित करना होगा। सम्बन्धित एजेंसियों के

Sterilization के बाद सम्बन्धित आर0डब्लू0ए0/ए0ओ0ए0/ सम्मानित ग्रामवासियों के सत्यापन/प्रमाण पत्र के बिना कोई भी धनराशि का भुगतान प्राधिकरण द्वारा नहीं किया जायेगा।

5. **Shelter Home:-**

ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण द्वारा आर0डब्लू0ए0/ए0ओ0ए0/ग्राम के निवासियों की सहमति व मांग पर स्ट्रीट डॉग्स के लिए कुछ डॉग्स शेल्टर के लिये भूमि उपलब्ध करायी जायेगी। शेल्टर होम प्राधिकरण के व्यय पर स्थापित किया जायेगा, जहां शिकायत प्राप्त होने पर जांचोपरान्त बीमार/उग्र/आकामक हो चुके कुत्तों को ही निगरानी के लिए रखा जायेगा। यहॉ पर इनका खान–पान एवं रखरखाव सम्बन्धित आर0डब्लू0ए0/ए0ओ0ए0/ग्राम के निवासियों (जिनके द्वारा सहमति दी गई है) के द्वारा किया जायेगा, इसके लिए एक टोल फी न0 जारी किया जायेगा, जिस पर निवासियों द्वारा कुत्तों की आकामकता/उग्रता के सम्बन्ध में सूचना दी जा सकेगी। तदानुसार प्राधिकरण द्वारा नामित कर्मचारियों के माध्यम से निकटतम शैल्टर होम में इन कुत्तों को ले जाने की कार्यवाही की जायेगी। उनके स्वभाव में परिवर्तन सकारात्मक होने पर उन्हें वापस अपने स्थान पर छोडा जायेगा।

6. **Feeding Point:-**

डॉग फीडर्स की मांग एवं उनके सहयोग से स्वंय आर0डब्लू0ए0/ए0ओ0ए0/ग्राम के निवासियों द्वारा फीडिंग स्थल यथावश्यकता स्वयं चिन्हित किये जायेंगे, जहॉ पर उनके द्वारा यह बोर्ड लगाया जाना अनिवार्य होगा कि **"स्ट्रीट डॉग्स को भोजन इसी स्थल पर ही खिलाएं।"** खाने एवं पानी की व्यवस्था फीडर/आर0डब्लू0ए0/ए0ओ0ए0 द्वारा ही की जाएगी। यदि कोई फीडिंग पॉइन्ट चिन्हित होते हैं तो उनकी सफाई की जिम्मेदारी प्राधिकरण द्वारा की जाएगी। फीडर किसी भी फ्लैट/कॉमन एरिया/बैसमेंट/कॉरीडोर या किसी और के घर के गेट के सामने खाना नहीं दे सकते।

7. **General Condition**

(i) Stray dogs are protected under the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960, and Rules enacted under Section 38 of the Act, particularly, the Animal Birth Control (Dogs) Rules, 2001 के नियमानुसार स्ट्रीट डॉग्स को उसके स्थान से हटाया जाना पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के विरूद्ध है। किसी भी प्रकार की कूरता की स्थिति में सूचना/साक्ष्य प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही ही जायेगी।

(ii) आर0डब्लू0ए0/ए0ओ0ए0 में कुत्तों के व्यवहार/संपर्क कैसे करें, इसकी जागरूकता हेतु नोटिस लगाए जाएं।

(iii) सड़क पर रहने वाले जानवरों के प्रति आर0डब्लू0ए0/ए0ओ0ए0 द्वारा मानवता दिखाते हुए सुरक्षात्मक सामग्री दी जाए, विशेषकर सर्दियों में।

*(iv) 10 या 10 से कम देसी निराश्रित कुत्तों को सड़क अथवा पशु शरणालयों से गोद लेने वाले परिवारों को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट दी जायेगी तथा एनिमल बर्थ कन्ट्रोल कैम्पस में ऐसे कुत्ते की नसबंदी एवं प्रथम टीकाकरण निःशुल्क किया जायेगा।*

*(v) जिस सैक्टर/ए0ओ0ए0 से मॉग आई है वहॉ यथावश्यकता डॉग फीडर के पहचान पत्र सम्बन्धित आर0डब्लू0ए0 /ए0ओ0ए0 द्वारा दिया जायेगा।*

*(vi) स्ट्रीट डॉग्स हेतु सीरियल नम्बर टैग प्राधिकरण द्वारा इम्पैनल्ड एजेन्सियों द्वारा Sterilization के समय अंकित किया जायेगा।*

## (ख) पालतू कुत्तों/पालतू बिल्लियों इत्यादि से सम्बन्धित नीतिः–

### (A) Registration: -

प्राधिकरण बोर्ड में पंजीकरण हेतु निम्नानुसार नियम एवं शर्तों को निर्धारण किया जाना हैः–

1. सभी Pet Dogs / Cats मालिकों को Pet Dogs / Cats इत्यादि का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा।
2. रजिस्ट्रेशन शुल्कः Pet मालिकों द्वारा Pets के रखने हेतु निर्धारित रजिस्ट्रेशन शुल्क रू0 500/–प्रति वर्ष देय होगा।
3. रजिस्ट्रेशन प्रत्येक वर्ष 01 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि के लिए होगा।
4. रजिस्ट्रेशन–ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा Authority App / Web Interface विकसित किया जायेगा व उस पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। नवीन पंजीकरण अथवा नवीनीकरण हेतु ऑनलाईन आवेदन प्रत्येक 01 जनवरी से 31 मार्च के मध्य अवश्य कराना होगा।
5. रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण वरिष्ठ प्रबन्धक (स्वास्थ्य), ग्रेटर नोएडा/लाईसेन्स प्राधिकारी के पूर्णतयाः सन्तुष्ट हो जाने के उपरान्त ही किया जायेगा तथा रजिस्टर्ड पशुचिकित्सक द्वारा जारी टीकाकरण के कार्ड/प्रपत्र अपलोड होने के पश्चात ही किया जायेगा।
6. रजिस्ट्रेशन हेतु यदि आवेदन 01 अप्रैल के उपरान्त किन्तु 30 अप्रैल के पूर्व प्रस्तुत किया जाता है तो निर्धारित शुल्क के साथ विलम्ब शुल्क रू0 200/– जमा करना आवश्यक होगा।
7. यदि 01 मई अथवा उसके पश्चात रजिस्ट्रेशन पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो उस स्थिति में रजिस्ट्रेशन शुल्क व विलम्ब शुल्क के साथ–साथ अनुसूची में निर्धारित जुर्माना रू0 10.00 प्रतिदिन की दर से जुर्माना जमा करने के उपरान्त ही रजिस्ट्रेशन अथवा उसका नवीनीकरण किया जा सकेगा।
8. *प्रत्येक व्यक्ति जो पालतू डॉग/कैट इत्यादि का मालिक हो, पालतू डॉग/बिल्ली इत्यादि रखने के दिनॉक से 30 दिन के अन्दर अपने पालतू पेट डॉग/कैट इत्यादि को ऐप पर रजिस्टर कराना आवश्यक है।*

### (B) रजिस्ट्रेशन की शर्तों एवं अन्य उल्लंघन करने पर दण्ड का प्रावधानः–

(क) कोई भी Pet मालिक अपने Pet Dogs/Cats इत्यादि को किसी सार्वजनिक स्थान यथा–गली, सड़क, पार्क या सड़क के आस–पास खुला नहीं छोड़ेगा और न ही सड़क, पार्क एवं गली में गंदगी/शौच करायेगा। उल्लंघन करने पर Pet मालिक पर प्रथम बार में रु० 100/– द्वितीय बार में रू0 200/– तथा तृतीय बार में रू0 500/– का आर्थिक दण्ड अधिरोपित किया जायेगा ।

(ख) किसी भी Pet मालिक द्वारा व्यवसाय करने हेतु Breeding Center का कार्य फ्लैट/मकान में नहीं किया जायेगा। उल्लंघन करने पर Pet मालिक पर रू0 5000/– का आर्थिक दण्ड अधिरोपित किया जायेगा।

(ग) ग्रेटर नौएडा क्षेत्र में 06 माह और उससे अधिक उम्र के किसी भी स्वस्थ पालतू कुत्ते/बिल्ली की नसबंदी कराया जाना अनिवार्य है। उक्त के उल्लंघन किये जाने पर प्रतिमाह रू0 2000/– का जुर्माना लगाया जायेगा। चिकित्सा सम्बन्धित समस्या के मामले में परामर्शदाता पशु चिकित्सक से प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा।

(घ) GNIDAPR (GNIDA Pet Reg.) APP पर पंजीकरण शुल्क के तहत रजिस्टर्ड Pet हेतु मुफ्त एंटीरेबिज वैक्सीन की सुविधा Empanelled Doctors / Hospitals के माध्यम से ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जायेगी।

| क्र. सं. | विवरण | अधिरोपित जुर्माना |
|---|---|---|
| 1. | Pet Dog / Cat के App पर प्रत्येक वर्ष 01 जनवरी से 31 मार्च तक बिना पैनेल्टी रजिस्ट्रेशन शुल्क | रू0 500/– |

| | | |
|---|---|---|
| 2. | Pet Dog / Cat के App पर प्रत्येक वर्ष 01 अप्रैल से 30 अप्रैल तक अर्था एक माह तक रू0 200/-पैनेल्टी सहित रजिस्ट्रेशन शुल्क | रू0 500+200=रू0 700/- |
| 3. | Pet Dog / Cat के App पर 01 मई के पश्चात पैनेल्टी सहित रजिस्ट्रेशन शुल्क | रू0 700+ रू0 10/-प्रतिदिन |
| 4. | प्रत्येक व्यक्ति को, जो पालतू डॉग/कैट इत्यादि का मालिक हो, पालतू डॉग/बिल्ली इत्यादि को क्रय/Adopt करने के दिनॉक से 30 दिन के अन्दर अपने पालतू पेट डॉग/कैट इत्यादि को ऐप पर रजिस्टर कराना आवश्यक है, रजिस्ट्रेशन शुल्क | रू0 500/- |
| 5. | प्रत्येक व्यक्ति को, जो पालतू डॉग/कैट इत्यादि का मालिक हो, पालतू डॉग/बिल्ली इत्यादि को क्रय/Adopt करने के दिनॉक से 30 दिन के उपरान्त एवं 60 दिन अथवा उससे पूर्व अपने पालतू पेट डॉग/कैट इत्यादि को ऐप पर रजिस्टर कराने पर रजिस्ट्रेशन शुल्क | रू0 500+200=रू0 700/- |
| 6. | प्रत्येक व्यक्ति को, जो पालतू डॉग/कैट इत्यादि का मालिक हो, पालतू डॉग/बिल्ली इत्यादि को क्रय/Adopt करने के दिनॉक से 60 दिन के उपरान्त अपने पालतू पेट डॉग/कैट इत्यादि को ऐप पर रजिस्टर कराने पर रजिस्ट्रेशन शुल्क | रू0 700+ रू0 10/-प्रतिदिन |
| 7. | आवारा/पालतू कुत्ते/बिल्ली इत्यादि की नीति के प्रकाशन के उपरान्त ग्रेटर नौएडा क्षेत्र में 06 माह और उससे अधिक उम्र के किसी भी स्वस्थ पालतू कुत्ते/बिल्ली की नसबंदी कराये जाने की अनिवार्यता की समयसीमा प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक बिना जुर्माना निर्धारित की गयी है। उक्त समयसीमा के पश्चात उल्लंघन किये जाने पर प्रतिमाह जुर्माना लगाया जायेगा। | रू0 2000/-प्रतिमाह |
| 8. | अप्रिय घटना की स्थिति में आर्थिक दण्ड अध्यारोपित किये जाने के साथ घायल व्यक्ति/जानवर का उपचार पालतू कुत्ते/बिल्ली इत्यादि के मालिक द्वारा वहन किया जायेगा। यदि कोई पालतू कुत्ते/बिल्ली इत्यादि आवारा कुत्ते/बिल्ली इत्यादि पर हमला करता है तो आवारा कुत्तें का उपचार पालतू कुत्ते/बिल्ली इत्यादि के मालिक द्वारा ही वहन किया जायेगा। | रू0 10,000/- |
| 9. | कोई भी पालतू कुत्ते/बिल्ली मालिक अपने पालतू कुत्ते/बिल्ली इत्यादि को किसी सार्वजनिक स्थान यथा-सड़क, पार्क या सड़क के आस-पास खुला नहीं छोड़ेगा और न ही सड़क, पार्क एवं गली में गंदगी/शौच करायेगा। उल्लंघन करने पर पालतू कुत्ते/बिल्ली इत्यादि के मालिक पर आर्थिक दण्ड अधिरोपित किया जायेगा। | प्रथम बार रू0 100/-<br>द्वितीय बार रू0 200/-<br>तृतीय बार रू0 500/- |
| 10. | किसी भी पालतू कुत्ते/बिल्ली इत्यादि के मालिक द्वारा व्यवसाय करने हेतु Dog/Cat Breeding Center का कार्य फ्लैट/मकान में नहीं किया जायेगा। उल्लंघन करने पर पालतू कुत्ते/बिल्ली इत्यादि के मालिक पर आर्थिक दण्ड अधिरोपित किया जायेगा। | रू0 5000/- |

(ड.) **Pet Owner Responsibility:-**

सभी पालतू जानवरों को घर के बाहर हर समय लीश (पट्टा) में ही घुमाना अनिवार्य होगा। कोई भी पालतू जानवर को घर के बाहर अकेला छोड़ना प्रतिबंधित है। पालतू कुत्ते द्वारा सार्वजनिक स्थान पर शौच किया जाता है तो उसकी सफाई की जिम्मेदारी पालतू कुत्ते के मालिक की होगी। पालतू कुत्ते का मालिक लिफ्ट/सार्वजनिक स्थानों पर अपने पालतू कुत्ते को अत्यन्त सावधानी पूर्वक आवागमन सुनिश्चित करेगा। जिससे किसी भी अन्य व्यक्ति या जानवर को जोखिम उत्पन्न न हो। अप्रिय घटना की स्थिति में रू0 10,000/- का आर्थिक दण्ड अध्यारोपित किये जाने के साथ घायल व्यक्ति/जानवर का उपचार पालतू कुत्ते के मालिक द्वारा वहन किया जायेगा। यदि कोई पालतू कुत्ता आवारा कुत्तों पर

हमला करता है तो आवारा कुत्ते का उपचार पालतू कुत्ते के मालिक द्वारा ही कराया जायेगा। उक्त कोष में जमा अर्थदण्ड का Pet Policy में दिये गये कार्यों के क्रियान्वयन में उपयोग किया जायेगा। पालतू कुत्ते/बिल्ली इत्यादि की मृत्यु की स्थिति में GNIDAPR (Greater Noida Authority Pet Reg.) APP पर सूचित/अपडेट करना अनिवार्य होगा। पालतू कुत्ते/बिल्ली इत्यादि पर क्रूरता की शिकायत के मामले में नौएडा प्राधिकरण के द्वारा शिकायत का निरीक्षण/जॉच के उपरान्त यदि दोष सही पाया गया तो कानूनी कार्यवाही की जायेगी। पालतू कुत्ते/बिल्ली इत्यादि को लावारिस छोड़े जाने की शिकायत प्राप्त होने पर ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण के द्वारा शिकायत का निरीक्षण/जॉच करने के उपरान्त यदि दोष सही पाया गया तो कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

**(C) RWA/AoA/Village Responsibility: -**

ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण के नीति के अतिरिक्त आर0डब्लू0ए0/ए0ओ0ए0/गांव कोई भी अन्य प्रतिबन्ध/नियम नहीं लगा सकते है।

**(D) General Conditions: -**

ग्रेटर नौएडा क्षेत्र के किसी भी रिहायशी इलाके में फ्लैट/हाऊस में प्रजनन (Breeding) सेन्टर का संचालन प्रतिबन्धित है। ग्रेटर नौएडा क्षेत्र में प्रजनन केन्द्र (Breeding Centre)/Pet Shop का सत्यापन के पश्चात् ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।

आवारा कुत्तों/पालतू कुत्तों/पालतू बिल्लियों इत्यादि के संबन्ध में यदि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को इस सम्बन्ध में आमजन मानस से किसी प्रकार का सुझाव/आपत्तियॉ प्राप्त होती है तो उन्हें सक्षम स्तर से स्वीकृति उपरान्त समावेशित किया जायेगा। उक्त नीति वर्तमान में नौएडा प्राधिकरण द्वारा अपने परिक्षेत्र में लागू की गयी है, जिसको आधार मानकर ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण परिक्षेत्र में लागू की जा रही है। स्टेरिलाईजेशन/एण्टी रैबीज से सम्बन्धित {B (ग)} प्रावधान जिसमें रू0 2000/– का जुर्माना प्रस्तावित है, वह 01 फरवरी 2023 से लागू किया जाना प्रस्तावित है।

उपरोक्त, कार्यालय आदेश मा0 बोर्ड के अनुमोदन के क्रम में जारी किया जा रहा है।

o/c (signature) 8/2/23
(रजनीकान्त)
विशेष कार्याधिकारी

**प्रतिलिपिः–**

1. स्टाफ ऑफिसर को, मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया के अवलोकनार्थ। — 1109
2. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (पी/ए.एस./ए./वी.) को सूचनार्थ। — 1110/1111/1112/1113
3. विशेष कार्याधिकारी (आर) को आवश्यक कार्यवाही हेतु। —
4. वरिष्ठ प्रबन्धक, वर्क सर्किल–1, 2, 3, 4 ,5, 6, 7, 8, उद्यान, जल, स्वास्थ्य, सीवर, वि0यां0–1, 2, 3, को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

o/c (signature) 8/2/23
विशेष कार्याधिकारी

4. (1) 1114/(2) 1115/(3) 1116/(4) 1117/(5) 1118/(6) 1119/(7) 1120/(8) 1121/(Hort.) 1122/(Jal) 1123/(Sewer) 1124)/ E/M-1 /(E/M-2) 1125/ E/M-3 1126